चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :गोप0 / प्रयो0 / 1380
दिनांक: 25.08.2021

प्रेस विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के पत्र संख्या गोप0 / प्रयो0 / 1125, दिनांक 17.06.2021 द्वारा वर्ष 2020 की जिन भूतपूर्व छात्र / छात्राओं की विशेष परीक्षा (Special Exam-2020) सम्पन्न हुई थी तथा जो कालबाधित की श्रेणी में नहीं आते है उनकी विभिन्न संकाय की प्रयोगात्मक / मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा 03 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये थे जिनमें से विधि संकाय की प्रयोगात्मक / मौखिक परीक्षा हेतु मेरठ कालेज, मेरठ को परीक्षा केन्द्र बनाया गया था। प्राचार्य, मेरठ कालेज, मेरठ ने पत्र संख्या 1352 / xv-6 दिनांक 19.08.2021 द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया गया है कि सम्बन्धित छात्रों की विधि संकाय की केवल सम–सेमेस्टर दिसम्बर 2020 (द्वितीय, चतुर्थ, पष्ठम्, अष्टम् तथा दशम्) की विशेष प्रयोगात्मक / मौखिक परीक्षा दिनांक 28.08.2021 दिन शनिवार को प्रातः 9.00 बजे विधि विभाग में सम्पन्न कराई जायेगी।

अतः प्राचार्य, मेरठ कालेज, मेरठ की उक्त प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.08.2021 के क्रम में सम्बन्धित छात्र / छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि तथा समय पर विधि संकाय की प्रयोगात्मक / मौखिक परीक्षा हेतु मेरठ कालेज मेरठ में उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि:–

1. जो छात्र / छात्रा अपनी परीक्षा ऑन–लाईन देना चाहते है वह अपनी प्रोजेक्ट फाईल दिनांक 25.08.2021, दिन बुधवार तक अनिवार्य रूप से विधि विभाग, मेरठ कालेज मेरठ में सांय 5.00 बजे तक जमा करनी होगी।
2. इन्टरनेट आदि का पूर्ण दायित्व छात्र / छात्रा का होगा। इन्टरनेट न चलने की स्थिति में छात्र / छात्रा को अनुपस्थित माना जायेगा।
3. ऑनलाईन लिंक विषय कोड के अनुसार कॉलेज की वैबसाईट www.meerutcollege.org पर उपलब्ध होगा।

नोटः परीक्षा के समय गत कक्षा का प्रवेश–पत्र, अंकतालिका, सम्बन्धित विषय की फाईल, अपना परिचय पत्र अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। इसके अभाव में किसी भी दशा में परीक्षा सम्पन्न नहीं करायी जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र / छात्रा का होगा।

भवदीय,

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, प्रति कुलपति को प्रति कुलपति महोदया जी के संज्ञानार्थ।
3. वयैक्तिक सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
4. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता / सहायक प्रेस प्रवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, वैबसाइट को विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

सहा0कुलसचिव(गोपनीय)